न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 59 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0 401/36-3-06-7(न्यू0 वे0)/04 दिनांक 24.02.2006 से मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गई हैं, जिसकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के योग के 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 59 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के **522 अंको के** ऊपर जुलाई 2012 से **दिसम्बर** 2012 के औसत **999** (नौ सौ निन्यानबे मात्र) पर दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तथा जनवरी 2013 से जून 2013 के औसत **1044** (एक हजार चौवालिस मात्र) पर दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय है:-

दृष्टांत :- **रूपये 2600.00 प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत मूल्य सूचकांक 1044 पर दिनांक 01.10. 2013 से दिनांक** 31.03.2014 तक देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित होगा :-

$$\frac{(1044-522)}{522} \times 2600 = \text{रू0 } 2600.00 \text{ प्रतिमाह}$$

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रति माह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें निम्नवत् है :-

क्र0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रूपये में)	प्रतिमाह परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रूपये में)		दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक	
			दिनांक 01.04.2013 से दिनांक 30.09.2013 तक	दिनांक 01.10.2013 से दिनांक 31.03.2014 तक	**प्रतिमाह** कुल मजदूरी दरें, (रूपये में)	**दैनिक** मजदूरी दरें, (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	**2600.00**	2375.86	**2600.00**	5200.00	200.00
2	अर्द्ध कुशल	**2964.00**	2708.48	**2964.00**	5928.00	228.00
3	कुशल	**3290.00**	3006.38	**3290.00**	6580.00	253.08

नियोजनों के नाम :-

1. रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद (टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिष्ठान उद्योग।
4. वासित पेयों (एरेटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आयॅल पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. सिले सिलायें कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है ।
12. प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13. ढलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शेपिंग और टिन प्रिटिंग।
16. ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों ।
17. चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
18. चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी संकर्म।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22. प्राईवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाऐं भी सम्मिलित हैं।
23. तम्बाकू विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. वानिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य बन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकान।
27. वाणिज्य अधिष्ठान।
28. चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29. तेल मिल।

30. लोक मोटर परिवहन।
31. यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35. दियासलाई उद्योग।
36. आइसकैण्डी / आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
37. बर्फ विनिर्माणशाला।
38. एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
39. लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
40. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
41. चिकन के कार्य।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरैमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा (सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा (मिनिएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईंट भट्ठा उद्योग।

(के0 के0 पुरवार)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त,उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

पत्र सं0– 2848-77 /प्रवर्तन0–(म0 भत्ता) /13 दिनांक 03.10. , 2013

प्रतिलिपि :–

1. समस्त क्षेत्रीय अपर /उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0, को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराऐं।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग–3, लखनऊ ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (वेज सेल) भारत सरकार नई दिल्ली को ई–मेल wagecell@nic.in के माध्यम से।
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रमायुक्त, (नजारत) को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
6. उप श्रमायुक्त, (आई0आर0), मुख्यालय।
7. उप श्रमायुक्त, (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त एवं सहायक निदेशक, भारत सरकार को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. उप श्रमायुक्त (पुस्तकालय), मुख्यालय को सूचनार्थ/अभिलेखार्थ प्रेषित।

(के0 के0 पुरवार)
अपर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश